राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर सौरभबाई / योगेन्द्र

——

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध-186 —पीबीआर / 15 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21—1—2015	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदिका की ओर से यह न्यायालयीन अवमानना का आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10—11—2014 को पारित आदेश की अवहेलना श्री योगेन्द्र सिंह मोर्य, तहसीलदार, देपालपुर एवं श्री शेखर तवर पटवारी द्वारा किये जाने के कारण प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10—11—2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश से निगरानी ग्राह्य की जाकर इस आशय का स्थगन दिया गया है कि 3 माह तक अपर आयुक्त के आदेश का कियान्वयन स्थगित करते हुये यथा स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाते है । इस संबंध में आवेदिका के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि पूर्व में तहसीलदार द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के पालन में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का नाम दर्ज कर दिया गया था, परन्तु बाद में इस न्यायालय के स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में पुनः आवेदिका का नाम निरस्त कर भरत सिंह का नाम दर्ज किये जाने में इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है क्योंकि इस न्यायालय	

द्वारा यथा स्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये गये थे । आवेदिका के विद्वान अभिभाषक का उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा यथा स्थिति बनाये रखे जाने के साथ ही अपर आयुक्त के आदेश का कियान्वयन स्थगित किया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा अपने विवके का उपयोग कर अपर आयुक्त के आदेश का किया गया कियान्वयन निरस्त किया गया है, जो कि इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना की परिधि में नहीं आता है, परन्तु तहसीलदार द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं अनियमित अवश्य मान्य की जा सकती है । यदि आवेदिका तहसीलदार की उपरोक्त कार्यवाही से व्यथित है, तब उसे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिये । अतः यह न्यायालयीन अवमानना का आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष

निगिद्य 186-PBR-15

प्रकरण क्रमांक /2015
पेशी दिनांक /01/2015

श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. के समक्ष

श्रीमती सौरम बाई पति श्री अंतर सिंह
निवासी– ग्राम खड़ौत्या, तह. देपालपुर जिला इन्दौर म.प्र.

.........प्रार्थी

विरूद्ध

(1) योगेन्द्र सिंह मौर्य
तहसीलदार देपालपुर जिला इन्दौर म.प्र.

(2) शेखर तंवर
पटवारी
ग्राम खड़ौत्या, तह. देपालपुर जिला इन्दौर म.प्र.

........प्रतिप्रार्थीग

श्री कौस्तुभ पाठक अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 20-1-15 को इंदौर कैम्प पर प्रस्तुत।
15-1-15

आवेदन पत्र अंतर्गत कंटेम्ट ऑफ कोर्ट 1971 के तहत

प्रार्थी की ओर से विनम्र निवेदन है कि:–

1. यह कि, प्रार्थी श्रीमती सौरम बाई पति अंतर सिंह के विरूद्ध बने ज़ि पिता मोतीसिंह निवासी– ग्राम खड़ौत्या, तह. देपालपुर जिला इन्दौर म.प्र. द्वारा श्रीमान के समक्ष एक निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 19 के तहत प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रकरण क्रमांक 3705/पी.बी.आर./14